



Rajasthan State Mines & Minerals Limited

(A Government of Rajasthan Enterprise)

Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001

Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur, CIN-U14109RJ1949SGC000505

Phone : 0294-2428763/64/65/66/67, Fax : 0294-2428770/2428739

e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com

क्रमांक:—आरएसएमएमएल/सीओ/पर्स/10(1)/2015-1083

दिवस 82 सप्ताह 12

दिनांक:—22.03.2020

आदेश


अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान के द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की धारा (2) के तहत जारी आदेश क्रमांक प. 1(1)चिस्वा/गुप-2/2020 जयपुर दिनांक 22.03.2020 की अनुपालना में राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के समस्त कार्यालय यथा कॉर्पोरेट कार्यालय, रजिस्टर्ड कार्यालय, एसबीयू एण्ड पीसी कार्यालय, सीईयूएस कार्यालय एवं समस्त खदाने दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020 तक पूर्णतः बंद रहेंगे।

इस दौरान समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति घर से कार्य करने (WORK FROM HOME) की रहेगी।

इस दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी तथा कर्मचारी मोबाईल, ई-मेल, वॉट्सअप पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से कार्य करने के दौरान कार्यालय समय में घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

खदानों की सुरक्षा तथा विभिन्न प्लान्ट की दैनिक रख-रखाव बाबत तकनीकी आवश्यकता अनुसार आवश्यक मेकेनिकल/इलेक्ट्रीकल/गार्डस् इत्यादि की ड्यूटी संबंधित समूह महाप्रबन्धक/प्रमुख एवं प्रभारी द्वारा अपने स्तर से लगायी जा सकेगी।


उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।


सोमनाथ मिश्रा(आई.ए.एस.)
प्रबन्ध निदेशक

22.3.20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष महोदय, आरएसएमएमएल।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज.।
3. निजी सहायक, प्रबन्धक निदेशक, आरएसएमएमएल, उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार/समस्त विभागाध्यक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय आरएसएमएमएल, उदयपुर।
5. समूह महाप्रबन्धक, एसबीयू एण्ड पीसी-रॉक फॉस्फेट-झामरकोटड़ा/ प्रमुख एवं प्रभारी, लाईमस्टोन-जोधपुर/ जिप्सम-बीकानेर/ लिग्नाईट-जयपुर।
6. समस्त सीईयूएस आरएसएमएमएल।
7. एमआईएस विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, आरएसएमएमएल, उदयपुर।
8. गार्ड पत्रावली।


कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)